न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 92/2023

1 मोहनी देवी स्त्री सरदार सिंह जाति जाट निवासी हुक्मपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं नवसृजित ग्राम लीलों की ढाणी तहसील गुढ़ा गौड़जी जिला झुन्झुनूं।

2 सरदाराराम पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी हुक्मपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं नवसृजित ग्राम लीलों की ढाणी तहसील गुढ़ा गौड़जी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 रणजीतराम पुत्र दुलाराम
2 भोपाल पुत्र दुलाराम
3 शिम्भूराम पुत्र दुलाराम
4 जगदीश पुत्र फुलाराम
5 सुरेन्द्र कुमार पुत्र हरलाल
6 महेन्द्र कुमार पुत्र हरलाल
7 सुनिता पुत्री हरलाल
8 संतोष स्त्री हरलाल
9 विमलेश कुमार पुत्र हरलाल

समस्त जाति जाट निवासीगण हुक्मपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं नवसृजित ग्राम लीलों की ढाणी तहसील गुढ़ा गौड़जी जिला झुन्झुनूं राज. ।

10 हरचन्द पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी हुक्मपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं नवसृजित ग्राम लीलों की ढाणी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।

11 श्रीमती लक्ष्मण स्त्री फुलाराम जाति जाट निवासी हुक्मपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं नवसृजित ग्राम लीलों की ढाणी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

12 पंजाब नेशनल बैंक शाखा गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबन्धक आई.डी.बी.आई बैंक लिमिटेड शाखा टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक

13 स्टेट बैंक शाखा बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गुढ़ागौड़जी जरिये शाखा प्रबंधक

14 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।

15 उप पंजीयक गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ.धारा 223 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट विरूद्ध निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांकित 19.04.2021 बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं मुकदमा उनवानी मोहनी देवी बनाम रणजीतराम वगै. दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा नम्बर मुकदमा 306/2019

उपस्थिति :

1. श्री संदीप कुमार सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र कुमावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 11/3/25

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 306/2019 में पारित निर्णय दिनांक 19.04.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलांटस ने एक वाद बंटवार व स्थायी व्यादेश बाबत भूमि खसरा नम्बर 145, 146, 204 वाके ग्राम हुकमपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 21.12.2020 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री इस आशय की पारित की जमीन हाल खसरा नम्बर 145, 146 व 204 वाके ग्राम हुक्मपुरा पटवार हल्का बामलास का वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 5 व 16 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए प्रत्येक का पृथक–पृथक विधिवत विभाजन रास्ते का प्रावधन रखते हुये किया जावे तथा तहसीलदार उदयपुरवाटी पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें। विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.12.2020 मे मौके से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने के लिए तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित कर कमिश्नर नियुक्त किया था। कानून से कमिश्नर नियुक्ति के आदेश की शक्ति आगे प्रत्योजित (**Firther Deligate**) नहीं की जा सकती। मौके पर विभाजन प्रस्ताव भू. अभिलेख निरीक्षक टीटनवाड़ व पटवारी हल्का ने तैयार कर तहसीलदार (भू.अभि.) उदयपुरवाटी को प्रेषित किये है भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण विचाराधीन निर्णय व अंतिम डिक्री खारिज होने योग्य है। विभाजन प्रस्ताव अपीलान्ट/वादीगण की अनुपस्थित मे बनाये गए है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने बाबत अपीलान्ट/वादीगण को कोई पूर्व सूचना हेतु कोई नोटिस नहीं भेजा। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 रणजीतराम को सड़क पर दोनों तरफ खसरा नम्बर 204 व 145/9/2 की जगह की कीमती जमीन दी गई है। विभाजन प्रस्ताव रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 रणजीतराम के कहे अनुसार बनाये है जो गलत है। विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। उक्त अपीलाधीन निर्णय डिक्री पारित होने के उपरान्त राज्य

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनू)

सरकार द्वारा गुढ़ा गौड़जी को नयी तहसील सृजित कर दिया गया है तथा वादग्रस्त भूमि को नये राजस्व ग्राम लीलों की ढाणी की सरहद में राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गय है जबकि उसके खसरा नम्बरो व रकबे में कोई परिवर्तन नही किया गया है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 145, 146, 204 कुल रकबा 4.85 हैक्टेयर वर्तमान में नये राजस्व ग्राम लीलों की ढाणी पटवारी हल्का बामलास तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनूं की सरहद में स्थित है। अपीलान्टस/वादीगण ग्रामीण परिवेश के अनपढ़ काश्तकार व्यक्ति है जिन्हे ना तो न्यायिक कार्यवाहियों का ज्ञान है, ना ही कानूनी प्रावधानों का ज्ञान है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निणय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19.04.2021 के विरूद्ध चाराजोही करने हेतु उन्होंने झुन्झुनूं में अधिवक्ता से सम्पर्क किया तथा रेस्पोडेन्टस संख्या 11 द्वारा दायर अपील उनवानी लक्ष्मी देवी बनाम मोहनी देवी वगै. के नोटिस/समन भी उन्हें दिखलाए तो उन्होंने अपीलान्टस/वादीगण से वकालतनामा पर हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी करवा लिए तथा विचाराधीन निर्णय डिक्री के विरूद्ध अपील/कॉस अपील दायर कर दिए जाने का आश्वासन दिया इसके उपरांत अपीलान्टस द्वारा अपने अधिवक्ता महोदय से संपर्क करने पर उनके द्वारा बार–बार अपील/कोस अपील दायर कर दिए जाने का आश्वासन अपीलान्टस को दिया जाता रहा तदुपरान्त दिनांक 06.04.2023 को अदालत हाजा द्वारा उक्त अपीलों उनवानी लक्ष्मी बनाम मोहनी मु.नं. 20/2021 हरचन्द बनाम मोहनी वगै. अपील नम्बर 68/2021 तथा शिम्भुराम बनाम मोहनी देवी वगै. अपील संख्या 45/2021 में पारित निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे द्वितीय अपील दायर करने हेतु अपीलान्टस ने अजमेर के अधिवक्ता से संपर्क किया तो उन्होंने पत्रावली का अध्ययन कर अपीलान्टस को बताया कि आपके द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांकित 19.04.2021 के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील अथवा कोस अपील दायर नहीं की गई है इसलिए आप न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैम्प झुन्झुनूं द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.04.2023 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में द्वितीय अपील दायर नही कर सकते तथा उन्होंने पहले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.04.2021 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष प्रथम नियमित अपील दायर करने की राय दी तत्पश्चात अपीलान्टस ने फीस की व्यवस्था

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर * झुन्झुनू

कर अधिवक्ता नियुक्त किया तथा उनसे ये अपील मेमो तैयार करवाकर आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। यद्यपि प्रस्तुत अपील दायर करने में अपीलान्टस द्वारा असाधारण देरी हुई है परन्तु अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी सद्भाविक है क्योंकि अपीलान्टस ग्रामीण परिवेश के कृषि पेशा अनपढ़ व्यक्ति है जिन्हे कानूनी प्रकिया एवं विधिक प्रावधानों का ज्ञान नहीं है तथा उक्त देरी उनके अधिवक्ता की लापरवाही के कारण हुई है जिनके द्वारा विचाराधीन निर्णय एवं डिकी के विरूद्ध विहित समय अवधि में अपील/कॉस अपील वादीगण/अपीलान्टस की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष दायर नहीं की गई इस प्रकार अधिवक्ता की गलती व लापरवाही का दण्ड पक्षकारों को दिया जाना न्याय संगत नहीं होता है। अपीलान्टस द्वारा दायर वर्तमान अपील में महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य एवं मैरिट निहित है जिसका निस्तारण माननीय न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर किया जाना प्रार्थनीय है अपीलान्टस द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किये जाने बाबत अपील के साथ पृथक से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है इस प्रकार अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील अन्दर समाहत किये जाने की दरख्वास्त है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि मौजूदा अपील में उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा उनवानी मोहनी देवी बनाम रणजीतराम मु.नं. 306/2019 में पारित निर्णय व अंतिम डिकी दिनांक 19. 04.2021 के विरूद्ध पेश की है। मोजुदा अपील से पहले विचाराधीन निर्णय व डिकी के विरूद्ध इस न्यायालय में निम्न वर्णित अपील हुई को माननीय न्यायालय ने दिनांक 06.04.2023 को खारिज कर दी। 1 श्रीमती लक्ष्मी बनाम मोहनी मु.नं. 29/2021, 2 हरचन्द बनाम मोहनी मु.नं. 68/2021, 3 शिम्भुराम बनाम मोहनी मु.नं. 45/2021 उपरोक्त तीनों अपीलों में अपीलान्ट मोहनी व सरदाराराम पक्षकार रहे है इस न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय व डिकी की पहले ही तीन अपील खारिज कर दी। यह न्यायालय पूर्व में पारित स्वयं के निर्णय के विरूद्ध निर्णय नहीं दे सकता एवं अपील चूंकि पूर्व में विचाराधीन निर्णय व डिकी के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अपील पेश नहीं की एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत अपील माननीय न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज कर दी इस कारण मौजूदा अपील पेश करने के लिए

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर कैम्प झुन्झुनू

अपीलान्ट अस्टोप्ड है तथा माननीय न्यायालय द्वारा तीनों अपीलो में पारित निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश हो रखी है जो विचाराधीन है इस तथ्य की ताईद अपीलान्ट की अपील मेमों से साबित है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजूदा अपील उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा उनवानी मोहनी देवी बनाम रणजीतराम मु.नं. 306/2019 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 19.04.2021 के विरूद्ध पेश की है। मोजुदा अपील से पहले विचाराधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध इस न्यायालय में निम्न वर्णित अपीले 1 श्रीमती लक्ष्मी बनाम मोहनी मु.नं. 29/2021, 2 हरचन्द बनाम मोहनी मु. नं. 68/2021, 3 शिम्भुराम बनाम मोहनी मु.नं. 45/2021 पेश हुई है। इन तीनों अपीलों में अपीलान्ट मोहनी व सरदाराराम पक्षकार रहे है इस न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय व डिक्री की पहले ही प्रस्तुत तीनों अपीलें खारिज की है। यह न्यायालय पूर्व में पारित स्वयं के निर्णय के विरूद्ध निर्णय नहीं दे सकता है। इस न्यायालय द्वारा तीनों अपीलो में पारित निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश हो रखी है जो विचाराधीन है इस तथ्य की ताईद अपीलान्ट की अपील मेमों से साबित है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जाने योग्य है।

यहां यह भी विचारणीय है कि अपीलांट ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के संदर्भ में विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

निर्णय आज दिनांक 11/3/5 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर